



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3066/2026

श्री नारायण

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार शुक्ला, सरिता झिंगन

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह वर्ष 2001 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, हालांकि, वे उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभार और संविदा आधार पर समूह 'ग' पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी नियम 2016 के प्रावधानों के तहत नियमितीकरण की मांग करते हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी वकील का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे की प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जांच की जानी आवश्यक है।
4. कटघरे में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 फरवरी, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।